

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1003  
08 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए नियत

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना

1003. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 का ब्यौरा क्या है और इसकी उपलब्धियां और प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) फेम इंडिया योजना के दोनों चरणों के अंतर्गत लक्ष्यों की तुलना में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) बिहार सहित देश में उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;
- (घ) फेम-इंडिया के तहत स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे का ब्यौरा क्या है और बिहार सहित स्थापित स्टेशनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ.) सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को भारतीय ईवी बाजार की ओर आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (च) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (छ) क्या देश लिथियम-आयन बैटरी के आयात पर अत्यधिक निर्भर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और बैटरी विनिर्माण को स्वदेशी रूप से बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ज) सरकार द्वारा बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और उपयोग को बढ़ाने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

**(क) और (ख):** नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और उनके विनिर्माण के लिए दृष्टिकोण और रोडमैप प्रदान करता है। यह योजना राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा को बढ़ाने, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रदान करने तथा भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई थी।

एनईएमएमपी 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में, भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन (फ़ेम-इंडिया) स्कीम तैयार की। योजना का पहला चरण 895 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2019 तक था। फ़ेम- इंडिया स्कीम के इस चरण में चार मुख्य क्षेत्र थे-- तकनीकी विकास, मांग उत्पादन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना घटक।

स्कीम के पहले चरण में, लगभग 2.8 लाख एक्सईवी के लिए कुल 359 करोड़ रुपये [लगभग] की मांग प्रोत्साहन सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त, स्कीम के पहले चरण के तहत यथास्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें देश के विभिन्न शहरों में लगभग 280 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोत्साहन से परिनियोजित की गई हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने फ़ेम-इंडिया स्कीम के पहले चरण के तहत 43 करोड़ रुपये (लगभग) से लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना को भी मंजूरी दी थी।

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), आईआईटी--मद्रास, आईआईटी--कानपुर, अलौह सामग्री प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) आदि जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों को परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना, विद्युतीकृत परिवहन, बैटरी इंजीनियरिंग आदि में उन्नत अनुसंधान के लिए 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना जैसी प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 158 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

फ़ेम-इंडिया स्कीम के चरण-I के दौरान प्राप्त परिणाम और अनुभव के आधार पर और उद्योग जगत और उद्योग संघों सहित सभी हितार्थियों के साथ परामर्श करने के बाद, सरकार ने 01 अप्रैल, 2019 से पांच वर्षों की अवधि के लिए फ़ेम-इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से अधिसूचित किया। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहियों के लिए सहायता प्रदान करना है।

फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत लगभग 827 करोड़ रुपये के मांग प्रोत्साहन से 01.02.2022 तक 2,31,257 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता दी गई है। साथ ही, भारी उद्योग मंत्रालय ने स्कीम के अंतर्गत 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नगर के भीतर और नगरों के बीच संचालन हेतु 65 शहरों/एसटीयू/सीटीयू/राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए 6315 ई-बसों की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने फेम-इंडिया (भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) स्कीम चरण-II के तहत 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों के लिए 1576 चार्जिंग स्टेशन भी स्वीकृत किए गए हैं।

**(ग):** महोदय, ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों और कुल वाहनों की बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत सूची अनुलग्नक-I पर है।

**(घ):** भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम-इंडिया स्कीम के पहले चरण के तहत चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने के लिए 520 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी थी। 31 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार, फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I और II के तहत, कुल 475 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं जिनकी सूची अनुलग्नक-II में है।

**(ङ):** सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों सहित ऑटो क्षेत्र के लिए उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 15 सितंबर, 2021 को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी है। भारत में पंजीकृत कार्यालय वाली विदेशी कंपनियां भी इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंड को पूरा करें और इस स्कीम के तहत पात्र उत्पादों के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधा स्थापित करें।

**(च):** ऐसा कोई प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

**(छ):** वर्तमान में, भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए विनिर्माण और समग्र मूल्यवर्धन में निवेश नगण्य है और एसीसी की लगभग पूरी घरेलू मांग अब भी आयात से पूरी की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयातित एसीसी बैटरी पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने देश में उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। 5 वर्ष की अवधि के लिए स्कीम का कुल परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण (50 गीगावाट घंटा) व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, 5 गीगावाट घंटा उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस स्कीम में, प्रति किलोवाट घंटा लागू सब्सिडी और उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने

वाले विनिर्माताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर उत्पादन-संबद्ध सब्सिडी का प्रावधान है।

**(ज):** महोदय, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया) स्कीम तैयार की। वर्तमान में, फ़ेम-इंडिया स्कीम का चरण-II बिहार राज्य सहित संपूर्ण भारत में 01 अप्रैल, 2019 से 05 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से लागू किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. 11 जून, 2021 से वाहन लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए, इलेक्ट्रिक दुपहियों के लिए मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दिया है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।
- ii. सरकार ने बैटरी की कीमतों को कम करने के उद्देश्य से देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।
- iii. इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत कवर किए गए हैं जिसे 15 सितंबर 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से अनुमोदित किया गया था।
- iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरीचालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
- vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

\*\*\*\*\*

31-01-2022 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिहार सहित राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	सकल योग
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	159
अरुणाचल प्रदेश	20
असम	47,947
<b>बिहार</b>	<b>64,241</b>
चंडीगढ़	1,931
छत्तीसगढ़	13,428
दिल्ली	132,302
गोवा	1,686
गुजरात	17,593
हरियाणा	26,780
हिमाचल प्रदेश	711
जम्मू और कश्मीर	1,527
झारखंड	12,171
कर्नाटक	82,046
केरल	15,022
लद्दाख	5,496
महाराष्ट्र	58,815
मणिपुर	540
मेघालय	28
मिज़ोरम	20
नागालैंड	171
ओडिशा	12,282
पुडुचेरी	1,614
पंजाब	10,142
राजस्थान	53,141
सिक्किम	2,425
तमिलनाडु	50,296

त्रिपुरा	7,593
दादरा और नगर हवेली व दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र	277
उत्तर प्रदेश	276,217
उत्तराखंड	25,451
पश्चिम बंगाल	44,291
<b>सकल योग</b>	<b>966,363</b>

**नोट:** प्रदत्त विवरण केंद्रीकृत वाहन 4 के अनुसार डिजीटीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के लिए डेटा नहीं दिए गये हैं क्योंकि वे केंद्रीकृत वाहन 4 में नहीं हैं।

## अनुलग्नक-II

1. भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत 520 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति दी है और 31 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार इनमें से 462 चार्जिंग स्टेशन निम्नानुसार स्थापित किये गये हैं:

शहर	चार्जिंग स्टेशन	राजमार्ग	चार्जिंग स्टेशन
चंडीगढ़	48	दिल्ली-चंडीगढ़	24
दिल्ली	94	मुंबई-पुणे	16
जयपुर	49	दिल्ली-जयपुर-आगरा	31
बेंगलूरु	50	जयपुर-दिल्ली राजमार्ग	9
रांची	29		
लखनऊ	1		
गोवा	30		
हैदराबाद	57		
आगरा	15		
शिमला	9		
<b>कुल</b>	<b>382</b>		<b>80</b>

2. फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत:

- 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी है:

राज्य	स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग की संख्या
महाराष्ट्र	317
आंध्र प्रदेश	266
तमिलनाडु	281
गुजरात	278
उत्तर प्रदेश	207
राजस्थान	205
कर्नाटक	172
मध्य प्रदेश	235
पश्चिम बंगाल	141
तेलंगाना	138

केरल	211
दिल्ली	72
चंडीगढ़	70
हरियाणा	50
मेघालय	40
बिहार	37
सिक्किम	29
जम्मू और कश्मीर	25
छत्तीसगढ़	25
असम	20
ओडिशा	18
उत्तराखंड	10
पुदुचेरी	10
अंडमान और निकोबार (पोर्ट ब्लेयर)	10
हिमाचल प्रदेश	10
<b>कुल</b>	<b>2877</b>

- भारी उद्योग मंत्रालय ने 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों के लिए 1576 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति दी है। इनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	एक्सप्रेसवे	स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन
1	मुंबई - पुणे	10
2	अहमदाबाद - वड़ोदरा	10
3	दिल्ली-आगरा यमुना	20
4	बेंगलूरु - मैसूर	14
5	बेंगलूरु - चेन्नई	30
6	सूरत - मुम्बई	30
7	आगरा - लखनऊ	40
8	ईस्टर्न पेरिफेरल (ए)	14
9	हैदराबाद ओआरआर	16
क्र.सं.	राजमार्ग	संस्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

1	दिल्ली - श्रीनगर	80
2	दिल्ली - कोलकता	160
3	आगरा - नागपुर	80
4	मेरठ से गंगोत्री धाम	44
5	मुंबई - दिल्ली	124
6	मुंबई - पणजी	60
7	मुंबई - नागपुर	70
8	मुंबई - बेंगलूरु	100
9	कोलकाता - भुवनेश्वर	44
10	कोलकाता - नागपुर	120
11	कोलकाता - गंगटोक	76
12	चेन्नई - भुवनेश्वर	120
13	चेन्नई - त्रिवेंद्रम	74
14	चेन्नई - बेल्लारी	62
15	चेन्नई - नागपुर	114
16	मंगलदाई - वाकरो	64
<b>1576</b>		

3.0 1.1.2022 की स्थिति के अनुसार, ऐसे खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरओ की संख्या जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है
आंध्र प्रदेश	65
अरुणाचल प्रदेश	4
असम	19
बिहार	26
चंडीगढ़	4
छत्तीसगढ़	51
दिल्ली	66
गोवा	17
गुजरात	87
हरियाणा	114
हिमाचल प्रदेश	13
झारखंड	22

जम्मु और कश्मीर	3
कर्नाटक	100
केरल	39
लेह	2
मध्य प्रदेश	167
महाराष्ट्र	88
मणिपुर	1
मेघालय	3
नगालैंड	2
ओडिशा	26
पांडिचेरी	2
पंजाब	41
राजस्थान	174
तमिलनाडु	76
तेलंगाना	112
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	128
उत्तराखंड	10
पश्चिम बंगाल	71
<b>कुल योग</b>	<b>1536</b>

\*\*\*\*\*